न्यायालय श्री. वी0 प्रसाद न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी बनमनखी, पूर्णियाँ

C.A.- 1880/2019

13 -01-2020 परिवादिनी की ओर से हाजिरी है | अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया |

आदेश

अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादिनी द्वारा यह परिवादी-पत्र छः व्यक्तियों के विरुद्ध मार-पिट एवं 10,000/ रूपया छिनने को लेकर दायर किया गया है | परिवादिनी अपने स्वंय के शपथ पर बयान के अलावे अपने परिवाद-पत्र के समर्थन में कुल तीन जाँच साक्षियों क्रमशः(1) गुरुदेव यादव (2) मनोहर यादव एवं (3) भेदीलाल यादव का जाँच साक्ष्य कराया है |

परिवादिनी के शपथ पर बयान एवं जाँच साक्षियों के जाँच साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिवाद-पत्र जमीन संबंधित विवाद को लेकर दायर किया गया है | परिवादिनी अपने न्यायालीय प्रश्न में कही है कि मेरे ससुर के नाम से उक्त विवादित भूमि पर बासगीत पर्चा बना है तथा उसी जमीन को अभियुक्तगण बोल रहे है कि वह जमीन हमारी है और उसी जमीन को खाली करा रहे है | जाँच साक्षी संख्या- 1 जो कि परिवादिनी के देवर है अपने न्यायालीय प्रश्न में कहे है कि अभियुक्तगण मेरे ग्रामीण है | झगडा का कारण है कि जिसपर हमलोगों का घर बना है वह जमीन अभियुक्तगण का है उस पर पच्चास वर्षो से हमलोगों का घर बना है | अभियुक्तगण अपनी जमीन खाली करने के लिए धमकी दे रहे है | जाँच साक्षी संख्या-2 भी अपने जाँच साक्ष्य में कहे है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद जमीन को लेकर है | जाँच साक्षी संख्या-3 अपने जाँच साक्ष्य के न्यायालीय प्रश्न में कहे है कि झगड़ा का कारण जमीन विवाद है | परिवादिनी सीता देवी का जो घर बना है उसका खातियानी मालिक हिरा झा है जो अभियुक्त आनंद के पिता है | उसी जमीन का सीतादेवी के ससुर के नाम से वासगीत पर्चा बना है तथा वासगीत पर्चा नहीं देखा हूँ लेकिन परिवादिनी बोलती है कि वासगीत पर्चा बना है | उपरोक्त सभी जाँच साक्षियों के साक्ष्य एवं परिवादिनी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वासगीत पर्चा वाली जमीन को लेकर विवाद हुआ है लेकिन साक्षियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त जमीन अभियुक्तों की खतियानी जमीन है लेकिन वासगीत पर्चा परिवादिनी के ससुर के नाम से बना है | परिवादिनी के द्वारा अपने ससुर के नाम से निर्गत जमीन का वासगीत पर्चा अभिलेख में दाखिल नहीं किया गया है जो संदेह उत्तपन होता प्रतीत होता है | परिवादिनी का परिवाद-पत्र एवं शपथ पर बयान तथा जाँच साक्षियों के साक्ष्य भी भिन्नता पायी गयी है | ऐसी स्थिति में परिवादिनी द्वारा दाखिल यह परिवाद-पत्र किसी अन्य हेतुक से दाखिल किया गया है | उभय पक्षों के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है तथा परिवादिनी के परिवाद-पत्र में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है |

अतः ऐसी परिस्थिति में परिवादिनी का परिवाद-पत्र धारा- 203 crpc में खारिज किया जाता है | कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे |

न्या0 दण्डा0